न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर
पीठासीन अधिकारीः– श्री ए.एच.गौरी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 10 / 2013

गौरीशंकर पुत्र स्व. श्री डॉ रामदेव जाति मोदी निवासी मोमासर बास तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

रेस्पोडेन्ट

::अपील अर्न्तगत धारा 75 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956::

उपस्थिति :–

1– अपीलान्ट की ओर से – श्री बृजेश मदान अधिवक्ता
2– स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय दिनांक 19.06.2019

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का श्रीडूंगरगढ़ ने तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष पी–14 मय नजरी नक्शा के एक रिर्पोट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम श्रीडूंगरगढ़ के खसरा नम्बर 1323/81 तादादी 228.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन बीड़ में से तादादी 6.30 हैक्टेयर भूमि पर संवत 2071 में अप्रार्थी श्री गौरीशंकर पुत्र श्री रामदेव जाति मोदी निवासी ग्राम श्रीडूंगरगढ़ ने नाजायज कब्जा कर गवाहर, बाजरा, मोठ काश्त कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जावे। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ ने इस रिर्पोट के आधार पर भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज कर अतिक्रमी को नोटिस जारी किया तदन्तर नोटिस तामील होने के बाद आदेशिका दिनांक 11.09.2013 में गिरदावर/पटवारी हल्का को फसल कुर्की हेतु की गई कार्यवाही से व्यथित होकर अपीलाण्ट पक्ष द्वारा यह अपील भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

2. अपील प्रस्तुत होने पर मामला दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया व मूल रिकार्ड मंगवाया जाकर मामले के गुणावगुण पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

3. अपीलाण्ट पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ कर निवेदन किया कि अपीलान्ट की एक खरीदशुदा कृषि भूमि जिसके खसरा नम्बर पुराने 72 व वर्तमान खसरा नम्बर 1323/81 तादादी 28 बीघा वाके रोही श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। अपीलान्ट ने उक्त कृषि भूमि चोरूराम पुत्र मालाराम व श्रवणराम पुत्र मघाराम जाति डाकोत से दिनांक 15.2.2012 को खरीद किया था। अपीलान्ट से पूर्व उक्त कृषि भूमि पर चोरूराम पुत्र मालाराम व श्रवणराम पुत्र मघाराम डाकोत का पिछले 55 वर्षो से लगातार बिना किसी रोक टोक के कब्जा चला आ रहा था तथा राजस्व गिरदावरी में भी चौरूराम व श्रवणराम का काश्तकार के रूप में नाम अंकित चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमि के तीन तरफ अन्य काश्तकारों ने खातेदारी प्राप्त कर रखी है और अपीलान्ट ने अपनी कृषि भूमि पर फसल काश्त कर रखी है तथा लाखों रूपये खर्च करके कृषि भूमि को काश्त योग्य किया है जिस पर अपीलान्ट का परिवार भी उक्त कृषि भूमि की पैदावर पर ही अपना जीवनयापन कर रहा है। अपीलान्ट अपनी कृषि भूमि पर शान्तिप्रिय रूप से काबिज है। दिनांक 18.10.2013 को पटवारी अपीलान्ट की कृषि भूमि पर आया व अपीलान्ट की कृषि भूमि को कर्क करने का आदेश रेस्पोडेनन्ट के दिनांक 11.9.13 को दिखलाया और अपीलान्ट को पटवारी ने कृषि भूमि खाली करने की धमकी दी और कुर्क करने का कहा तो अपीलान्ट उसी दिन ही तहसीलदार श्रीडूंगरगढ के यहा गया और दिनांक 11.9.2013 की प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन पेश किया जिसकी प्रति अपीलान्ट को 18.10.2013 को ही प्राप्त हुई । रेस्पोडेन्ट ने बिना अपीलान्ट को साक्ष्य सफाई का अवसर दिये, बिना नोटिस दिये तथा बिना जांच पड़ताल किये इकतरफा तौर पर अपीलान्ट की फसल एवं कृषि भूमि को कुर्क करने के आदेश दिनांक 11.09.2013 को दिये गये। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी दिनांक 18.10.13 को पटवारी द्वारा मौके पर आकर दी गई तब अपीलान्ट उसी दिन उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर नकल प्राप्त की तथा अपीलान्ट अपीलान्ट रूपये पैसों की व्यवस्था होने के उपरान्ट बिना किसी देरीना के जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खिलाफ कानून एवं रूऐदाद मिसल होने की वजह से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 11.9.13 विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने की वजह से निरस्त फरमाया जावे तथा यह भी निर्देशित किया जावे कि अपीलान्ट को नोटिस दिया जाकर साक्ष्य सफाई का अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय प्रसारित करें।

अति. जिला कलक्टर
प्रशासन) बीकानेर

Scanned by CamScanner

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि पटवारी हल्का श्रीडूंगरगढ़ द्वारा पी– 14 में आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि अपीलार्थी गौरीशंकर पुत्र रामदेव जाति मोदी साकिन श्रीडूंगरगढ़ ने खसरा नम्बर 1223/81 तादादी 228.01 हैक्टयर किस्म भूमि गैर मुमकीन बीड़ में से तादादी 6.30 हैक्टयर भूमि पर संवत 2070 में नाजायज कब्जा कर ग्वार, बाजरा, मोठ की काश्त कब्जा कर अतिक्रमण किया है। प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की गई । अपीलार्थी को तलब किया गया तथा अपीलार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता उपस्थित आने पर जवाब हेतु समचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलार्थी एवं उनके अधिवक्ता की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 के तहत फसल कुर्की/निलामी की कार्यवाही कर विधि सम्मत आदेश प्रदान किये है। अतः अपील अपीलान्ट नामंजूर फरमाई जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार अपीलार्थी द्वारा ग्राम श्रीडूंगरगढ़ के खसरा नम्बर 1223/81 तादादी 228.01 हैक्टयर किस्म भूमि गैर मुमकीन बीड़ में से तादादी 6.30 हैक्टयर भूमि पर संवत 2070 में नाजायज कब्जा कर ग्वार, बाजरा, मोठ की काश्त कब्जा कर अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज कर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया तथा पत्रावली दिनांक 19.9.2013 को गिरदावर से फसल कुर्की संबंधी रिपोर्ट हेतु रखी गई थी। गिरदावर हल्का द्वारा दिनांक 30.10.2013 को फसल कुर्की की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दिनांक 8.11.2013 को फसल कुर्की निलामी रिपोर्ट में रखी गई तथा दिनांक 13.11.13 को फसल नीलामी बोली राशि जमा चालान की गई। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय तहसीलदार के अन्तरिम आदेश बाबत फसल कुर्की दिनांक 11.09.2013 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है। उक्त आदेश अन्तरिम आदेश की श्रेणी में आते है, अन्तिम आदेश नहीं है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है, जो अन्तिम आदेश नहीं होने के कारण अपील संधारण योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

6. निर्णय आज दिनांक 19.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जावें।

(ए.एच. गौरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner